आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
19.10.15	न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा अपराध नियंत्रण वाद सं0 103/2015 सरकार मार्फत पुलिस अधीक्षक, सारण बनाम गणेश कुमार सिंह, थाना-रिविलगंज आदेश पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के पत्रांक 5614/चुनाव/गो0, दिनांक 11.10.2015 के द्वारा सक्रिय असामाजिक तत्व गणेश कुमार सिंह, पिता-त्रिलोकी सिंह, सा0-लोहा टोला, थाना-रिविलगंज जिला-सारण के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रस्ताव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर छपरा के ज्ञापांक 3318, दिनांक 05.10.15 पर आधारित है, जिसमें मुख्य रूप से निम्नांकित कांडों को आधार बनाया गया है:- 1. रिविलगंज थाना कांड संख्या-26/2007, दिनांक 15.03.2007 धारा-379/411 भा0द0वि, आरोप पत्र सख्या 30/07, दिनांक 08.05.07 इसके अतिरिक्त, आसन्न बिहार विधान सभा चुनाव 2015 के मद्देनजर इनके द्वारा अपने क्षेत्र में आम जनता में भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इनके विरूद्ध इस संबंध में सनहा संख्या 488/15 दर्ज किया गया है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस न्यायालय के ज्ञापांक 868, दिनांक 12.10.2015 के द्वारा विपक्षी से कारण पृच्छा किया गया, एवं दिनांक 19.10.15 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। विपक्षी के पिता के द्वारा 19.10.15 को एक आवेदन प्रस्तुत कर सूचित किया गया कि उनका बेटा गणेश सिंह पिछले तीन वर्षो से मंडल कारा में बंद है। वे किस केस में बंद है इसकी जानकारी उन्हे नहीं है। अतः उनके जबान को स्वीकार करके उनके लड़के के विरूद्ध आने वाले पुलिस प्रस्ताव को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। विद्वान अपर लोक अभियोजक,सारण,छपरा के द्वारा बताया गया कि विपक्षी के पिता के द्वारा दाखिल आवेदन मे अंकित बिन्दुओं के प्रसंग में पुलिस अधीक्षक सारण छपरा से प्रतिवेदन प्राप्त करना आवश्यक प्रतीत होता है। अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरांत मैं पाता हूँ कि विपक्षी गणेश कुमार सिंह के पिता-त्रिलोकी सिंह के द्वारा दाखिल आवेदन में	

अंकित बिन्दुओ के आलोक में विपक्षी के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना अभी संभव नहीं है। इस संबंध में, पुलिस अधीक्षक, सारण छपरा को निर्देश है कि **वे उक्त मामले की जॉच कराकर अद्यतन प्रतिवेदन प्रेषित करना सुनिश्चित करे।**

लेखापित एवं संशोधित

19/10/15

जिला दण्डाधिकारी
सारण,छपरा।

19/10/15

जिला दण्डाधिकारी
सारण,छपरा।

ज्ञापांक.....930...../न्या0,दिनांक.....19.10.2015.....

प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक,सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संलग्न आदेश का तामिला संबंधित व्यक्ति को तथा संबंधित पदाधिकारियों को कराते हुए तामिला प्रतिवेदन यथाशीघ्र भेजने का कष्ट किया जाए।

प्रतिलिपिः–थानाध्यक्ष, रिविलगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण,छपरा।
19/10/15